न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

(जी.सी.एम.एस.नम्बर 2024/26)

मुकदमा नम्बर :–01/2024

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर

––––––––– प्रार्थी

बनाम

उदयसिंह पुत्र श्री देवेन्द्र कुशवाह उम्र लगभग 25 वर्ष जाति कुशवाह निवासी भवानी शंकर का पुरा तहसील व जिला धौलपुर।

–––––––––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1 – प्रार्थी की ओर से :– सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)

2 – अप्रार्थी की ओर से :– श्री लोकेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

निर्णय *दिनांक* 27.01.2025

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 30.03.2024 को थानाधिकारी मंनिया एवं टीम के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनाम दुकान मांगरौल रोड के सामने एन.एच.–03 के पास गली में पप्पू त्यागी की दुकान में घरेलू एलपीजी की अवैध रिफलिंग एवं दुरूपयोग के सम्बध में कार्यवाही की गई। मौके पर उक्त दुकान में कुल 09 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे पाया जाना जिनमें से 01 घरेलू गैस सिलेण्डर इलैक्ट्रिक मोटर से जुडा होना पाया गया। मौके पर जॉच दल को देखकर दुकान में उपस्थित उदयसिंह पुत्र देवेन्द्र कुशवाह निवासी भवानी शंकर का पुरा मौके से फरार हो गया जिसे पकडने का प्रयास किया गया परन्तु नहीं पकड सके। मौके पर आस–पास पूछे जाने पर लोगों द्वारा उदयसिंह के नाम एवं गैस रिफलिंग का कार्य करने की पुष्टि की गई। मौके से कुल 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस (01 आई.ओ.सी.एल. एवं 08 बी.पी.सी.एल. मार्का जिनमें 01 सीलड), 02 इलैक्ट्रिक रिफलिंग मोटर मय इलैक्ट्रिक तार (01 मैसकोट कॉपर वाईडिंग एग्रीकल्चर पम्प मार्का एवं 01 अनमार्कड) व 04 पाईप तथा 02 रेगूलेटर जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रिफलिंग कार्य में उपयोग करने

जिला कलक्टर
धौलपुर

पर एल.पी.जी.कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लधन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर मंनिया इण्डेन ग्रामीण वितरक मंनिया के डिलीवरी मैन श्री लोकेश पुत्र मोहनसिंह जाति जाटव निवासी मंनिया की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस, 02 इलैक्ट्रिक मोटर मय तार व 04 पाईप, 02 रेगूलेटर को राजसात करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित फोटोप्रति फर्द मौका, फर्द तलपटटी एवं नजरीनक्शा पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के संबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री लोकेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी से कोई घरेलू गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान जब्त नहीं किये है। इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व कोई अपराध नहीं बनता है। जिस व्यक्ति की दुकान में रिफलिंग का सामान सिलेण्डर जब्त होना बताये है वह सामान अप्रार्थी के नहीं है। उक्त दुकान अप्रार्थी की नहीं है। उक्त जब्त शुदा सिलेडर एवं अन्य सामान का अप्रार्थी मालिक नहीं है ना ही आधिपत्यधारी है। अप्रार्थी को उक्त जब्त शुदा आर्टीकल को राजसात करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः अप्रार्थी को दिया गया नोटिस अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम निरस्त फरमाया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि फर्द मौका एवं नजरी नक्शा से यह सावित है कि मौके पर आस पास पूछे जाने पर अप्रार्थी दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर से एलपीजी रिफलिंग का कार्य करना बताया है। मौके पर जब्त धरेलू गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान अप्रार्थी का ही है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लंघन किया गया है उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी से कोई घरेलू गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान जब्त नहीं किये है। इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व कोई अपराध नहीं बनता है। जिस व्यक्ति की दुकान में रिफलिंग का सामान सिलेण्डर जब्त होना बताये है वह सामान अप्रार्थी के नहीं है। उक्त दुकान अप्रार्थी की नहीं है। उक्त जब्त शुदा सिलेडर एवं अन्य सामान का अप्रार्थी मालिक नहीं है ना ही आधिपत्यधारी है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराधन नहीं किया गया है और अप्रार्थी का जब्तशुदा सामान से कोई सम्बध सरोकार नहीं है। जब्त शुदा आर्टीकल को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि दिनांक 30.03.2024 को थानाधिकारी मंनिया एवं जिला रसद अधिकारी की टीम के साथ अनाम दुकान मांगरौल रोड के सामने एन.एच.–03 के पास गली में पप्पू त्यागी की दुकान पर घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के व्यावसायिक कार्य में किये जाने की जांच के दौरान मौके पर दुकान में 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस, 02 इलैक्ट्रिक मोटर मय तार व 04 पाईप, 02 रेगूलेटर रखा पाया जाना एवं अवैध रिफिलिंग कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर जॉच दल को देखकर दुकान में उपस्थित अप्रार्थी उदयसिंह पुत्र देवेन्द्र कुशवाह निवासी भवानी शंकर का पुरा मौके से फरार हो गया जिसे पकडने का प्रयास किया गया परन्तु नहीं पकड सके। मौके पर आस–पास पूछे जाने पर लोगों द्वारा उदयसिंह के नाम एवं गैस रिफलिंग का कार्य करने की पुष्टि की गई। मौके पर अप्रार्थी की दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का मिलना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक कार्य में करता है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधो का उल्लंघन है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस, 02 इलैक्ट्रिक मोटर मय तार व 04 पाईप, 02 रेगूलेटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। जिला रसद अधिकारी धौलपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर